किसानों को ऋण पर ब्याज की दर का बढ़ाया जाना

1792. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बैंकों ने किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए दिए गये ऋण पर ब्याज की दर को बढ़ाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो किसानो को दिए गए ऋण पर ब्याज की वर्तमान दर कितनी है और अब बैंकों द्वारा कितनी दर की मांग की जा रही है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ट्रैक्टरों की खरीद के लिए किसानों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर में वृद्धि करने के लिए उन्हें बैंकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को विभिन्न प्रकार के अग्रिमों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार ब्याज वसूल करना अपेक्षित है। ट्रैक्टरों की खरीद के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत सावधि ऋणों पर इस समय जो ब्याज दरें वसूल की जा रही हैं, वे इस प्रकार हैं :–

धनराशि	ब्याज की दर (प्रति-शत प्रति वर्ष)
25,000 रुपये से अधिक तथा 50,000 रुपए तक	14.0
50,000 रुपए से अधिक तथा 2 लाख रुपए	15.0
2 लाख रुपए से अधिक	15.0 (न्यनतम)

चूंकि 15 प्रतिशत ब्याज की दर न्यूनतम दर है अतः किसी व्यक्ति को दिए गए 2 लाख रुपए से अधिक के अग्रिमों पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक ब्याज वसूल करने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं। निर्धारित ब्याज की दरें अन्य श्रेणी के उधारकर्ताओं को स्वीकृत उतनी ही राशि की ऋणों की तुलना में जहां उधार देने की न्यूनतम दर 20 प्रतिशत है, रियायती है।

देश में तस्करी की वस्तुओं की बिक्री

1793. **डा० अबरार अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में पालिका बाजार और गफ्फार मार्किट में विदेशी वस्तुएं खुले रूप में बेची जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विक्रेताओं के पास इन वस्तुओं से संबंधित बिल तथा सीमाशुल्क की रसीद होती है;

(ग) यदि नहीं, तो इन विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास सिलीगुड़ी के कौन-कौन से बाजारों में विदेशी वस्तुएं खुले रूप में बची जाती हैं;

(ङ) क्या वहां ऐसी वस्तुओं पर सीमाशुल्क वसूल किया जाता है;

(च) यदि नहीं, तो क्या यह सभी कार्य कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहा है; और

(छ) सरकार देश में तस्करी की वस्तुओं की बिक्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) सरकार

को इस बात की जानकारी है कि विदेशी मूल के तस्करी के माल को, जिसे अधिकांशतः असबाब के रूप में देश में लाया जाता है, दिल्ली में पालिका बाजार और गफ्फार मार्किट में अवैध रूप से बेच दिया जाता है। बहुत से मामलों में विक्रेताओं के पास सीमा शुल्क की अदायगी दर्शाने वाले बिल और रसीदें भी नहीं होती हैं। दिल्ली सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किए गए अभिग्रहणों की संख्या और इस तरह पकड़े गए माल के मूल्य का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :–

वर्ष	अभिग्रहणों की संख्या	पकड़े गए माल का मूल्य
		(लाख रु० में)
1989	126	56.81
1990	152	18.28
1991* (अक्तूबर तक)	127	20.50

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

(च) से (छ) उपलब्ध रिपोर्टों से यह पता चलता है कि विदेशी मूल की तस्करी की वस्तुओं को अवैध तरीके से मद्रास में बर्मा बाजार, कासी चेट्टी काम्पलेक्स आदि; बम्बई में मनीष मार्किट, मुसाफिरखाना एरिया, फाइव स्टार मार्किट, आदि; कलकत्ता में फैन्सी मार्किट, फाइव स्टार मार्किट, मेहता मार्किट आदि, सिलीगुड़ी में विधान मार्किट और दिल्ली में पालिका बाजार और गफ्फार मार्किट आदि जैसे बाजारों में बेचा जाता है। सीमा शुल्क प्राधिकारी तस्करी की वस्तुओं के खुले प्रदर्शन और बिक्री के प्रति चौकस रहते हैं और ऐसी मार्किटों सहित देश के अन्दर छापे मारने/तलाशियां लेने की कार्यवाही करते हैं। समस्त देश में छापों/तलाशियों में गत तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए माल के मूल्य का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :

वर्ष	छापों/तलाशियों में पकड़ी गई वस्तुओं का मूल्य
	(करोड़ रुपयों में)
1989	37.90
1990	45.24
1991* (30 नवम्बर तक)	30.45

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

जिन व्यक्तियों को तस्करी के माल की ऐसी अवैध बिक्री में शामिल पाया जाता है उन पर विभागीय न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों में अर्थदण्ड लगाया जाता है और उपयुक्त मामलों में अदालतों में मुकदमा चलाया जाता है।

दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यालय का खोला जाना

1794. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :
श्री भैरों प्रसाद मिश्र :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 नवम्बर, 1991 को "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "आई एम०एफ० ओपन्स आफिस इन कैपिटल टूडे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यह कार्यालय सरकार के व्यय और बजट घाटे आदि पर निकट से निगरानी रखने के लिए खोला गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस संस्था के बंगलादेश और इंडोनेशिया में भी ऐसे कार्यालय हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारी कर्ज ले रखे हैं;